न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री महेन्द्र सोनी
आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स(भारत सरकार का उपक्रम)प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर 5 इंस्टीटयूशनल एरिया सेक्टर 32 गुडगॉव 122001 हरियाणा एवं शाखा कार्यालय भीनमाल जरिए प्रधिकृत अधिकारी श्री ज्योतिप चन्द्र प्रकाश		1.श्री ताराचन्द सोनी पुत्र भवरलाल सोनी 2.श्रीमती मधु सोनी पत्नि ताराचन्द सोनी निवासी भीलो का चोहटा, सुनारो का वास भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर

विविध प्रकरण संख्या 30/2019

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

....

अधिवक्ता: श्री चन्द्रसिंह राठौड, अधिवक्ता प्रार्थी

-: आदेश :-

दिनांक:-06.12.2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वितीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर कर प्रकरण का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अभिभाषक ने निवेदन किया है, कि प्रार्थी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स(भारत सरकार का उपक्रम)प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर इस्टीटयूशनल एरिया सेक्टर 32 गुडगॉव 122001 हरियाणा तथा प्रार्थी बैंक की अपनी कार्यालय में से एक शाखा कार्यालय वसूली विभाग 10 बी, ई रोड सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान 342007 एवं शाखा कार्यालय भीनमाल जिला जालोर राजस्थान में स्थित एवं कार्यरत है। प्रार्थी बैंक जो एक निगमित निकाय है जिसको शाश्वत अधिकार व सामान्य मुद्रा के अन्तर्गत अपने नाम से वाद लाने का अधिकार है। प्रार्थी बैंक का एक शाखा कार्यालय, वसूली विभाग 10 बी ई रोड सरदारपुरा जोधपुर राजस्थान 342007 एवं शाखा कार्यालय भीनमाल जिला जालोर राजस्थान के प्राधिकृत अधिकारी ज्योतिप चन्द्र प्रकाश है।वह रिकार्ड के आधार पर प्रार्थना पत्र के सभी तथ्यो से भी परिचित है। वह उनको प्रार्थी बैंक कार्यालय की ओर से साक्ष्य देने व प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर व सत्यापन करने का अधिकार है। इन्हे प्रार्थना पत्र के निपटारे तक समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है! अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 29.06.2016 को ऋण 9,00,000/ रूपये का ऋण लिया था एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने ऋण व उसके मय व्याज के पुर्नभुगतान सिक्योरिटी के रूप में अपनी निम्न चल सम्पति असल कागजात मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधक किया जो कि निम्न प्रकार है:-

क्रम संख्या	दृष्टिबंधक सम्पति का विवरण
1	ताराचन्द सोनी की दृष्टिबंधक कार HONDA MOBILIO 1.5 कार रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-46-UA-1238 निर्मित 04/2015 इंजिन नंबर N15A11323263 चैसिस नंबर MAKDD575DFN009382 माडल HONDA MOBILIO 1.5

अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सका और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.05.2019 को अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में ऋण रूपये 7,18,064.79/अक्षरे रूपये सात लाख अठारह हजार चौंसठ रूपये दिनांक 31.05.2019 तक व आगे की बकाया राशि मय व्याज व खर्चो का पूर्णभुगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनाक 04.06.2019 को नोटिस भी अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किये और जिसकी प्राप्ति के बाद भी उन्होने देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नही दिया। नोटिस की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण ने धारा 13(2)के नोटिस के प्राप्त हो जाने व नोटिस में वर्णित अवधि में देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के

भी प्रार्थी बैंक को नही किया है। इस उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित दृष्टिबंधक सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है। उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्यूरिटी दृष्टिबंधक सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर देय राशि वसूल करने का आदेश फरमाए जाने की प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। दिनांक 16 अगस्त 2016 को भारत का राजपत्र असाधारण भाग-।। खण्ड 1 संख्या 51 के तहत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एंव पुनंगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 में संशोधन किये गये है।उक्त संशोधित अधिनियम कि धारा सेक्शन 12 जो निम्न प्रकार से है - Sec. 12- in the principal act, in section 14, in sub section (1)

(i) In the second proviso. after the words "secured assets" the words within a period of thirty days from the date of application" shall be inserted.

(ii) After the second proviso. the following proviso shall be inserted, namely"provided further that if no order is passed by the chief metropolitan magistrate or District magistrate within the said period of thirty days for reasons beyond his control. he may after recording reasons in writing for the same, pass the order within such further period but not exceeding in aggregate sixty days. इस संशोधन के पश्चात इस प्रार्थना पत्र पर अविलम्ब कार्यवाही की अपेक्षा है।अत: उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की अनुसूची : में दिया गया है। उक्त सम्पति का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे ।

पत्रावली के अवलोकन में पाया गया कि अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक से रूपये 9,00,000/ रूपये का ऋण प्राप्त किया था। उक्त ऋण के बदले में ईकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये अधिनियम की धारा 13(2) के तहत 04.06.2019 को समस्त प्रतिवादियो को मांग नोटिस दिया कि नोटिस के 60 दिनो में रूपये 7,18,064.79/अक्षरे रूपये (सात लाख अठारह हजार चौसठ रूपये। दिनांक 31.05.2019 तक का ब्याज सम्मिलित है, बैंक को अदा करे।

प्रतिवादियो ने उक्त धारा 13(2) के नोटिस को प्राप्त करने के बाबजुद प्रार्थी बैंक की बकाया राशि के अदा करने में चुक की है। वित्तीय अस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गई संपति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है: (1) प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में प्रतिभूत लेनदार **की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूत आस्तियो का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियो का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानो के अर्न्तगत किये जाने की आवश्यकता हो,तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये,लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा,ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो भी स्थिति हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर -(क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजो का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियो और दस्तावेजो को भेजेगा।(2) उप धारा (1) के प्रावधानो के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा ।**

अत: उपरोक्त तथ्यो के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ताराचंद सोनी द्वारा प्रार्थी/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई, उक्त अपनी जायदाद HONDA MOBILIO 1.5 कार रजिस्ट्रेशन नंबर RJ-46-UA-1238 निर्मित 04/2015 इंजिन नंबर N15A11323263 चैसिस नंबर MAKDD575DFN009382 माडल HONDA MOBILIO 1.5 है। पुलिस अधीक्षक जालोर को निर्देश दिये जाते है, कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में यतोर प्रतिभूति अपने स्वामित्व की संपति/वाहन के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना भीनमाल को निर्देशित करे कि वे उपर्युक्त विधिक कार्यवाही में वांछित सहयोग करे। आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सोनी)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर